

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र।

1-दम्पति का विवरण:-

(क) पति का पूरा नाम..... पिता का नाम.....
निवासी.....पो0.....जिला-हरिद्वार
आयु.....जाति.....व्यवसाय.....

(ख) पत्नि का नाम श्रीमती..... पिता का नाम.....
निवासी.....पो0.....जिला-हरिद्वार
आयु.....जाति.....व्यवसाय.....

दम्पति का
नवीनतम
संयुक्त फोटो

2-इस विवाह से पूर्व विधवा से सम्बन्धित विवरण:-

(क) पूर्व पति का नाम..... पिता का नाम..... निवासी.....
पो0.....जिला..... विवाह की तिथि.....
(ख) पूर्व पति की मृत्यु दिनांक..... (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3-अन्य विवरण:-

(क) क्या पति का पूर्व में विवाह हुआ था.....
(ख) यदि हां तो विधवा से विवाह करने का कारण.....
(ग) दम्पति का वर्तमान व्यवसाय.....
(घ) संयुक्त खाता संख्या..... बैंक का नाम व स्थान.....

हस्ताक्षर/मोहर
ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य

हस्ता0/अंगूठा निशानी पत्नी.....

हस्ता0/अंगूठा निशानी पति.....
पूरा पता.....

कार्यालय तहसीलदार..... जिला-हरिद्वार की जॉच के प्रयोगार्थ।

क्षेत्रीय लेखपाल की जॉच आख्या पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

1-श्रीमती.....के पूर्व पति स्व0 श्री.....पुत्र श्री.....
निवासी.....पो0.....जनपद.....
की मृत्यु दिनांक.....को हो गयी है।

2-श्रीमती.....ने श्री.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....पो0.....जनपद हरिद्वार से हिन्दू रीति रिवाज/मुस्लिम
रीति रिवाज के अनुसार दिनांक.....को पुनः विवाह किया है। (विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3-श्रीमती.....की आयु.....वर्ष तथा श्री.....की आयु.....वर्ष है।

4-श्रीमती.....की मासिक आय रू0.....तथा श्री.....की मासिक
आय.....रूपये प्रतिमाह है।

5-पति तथा पत्नि आयकर दाता है/नहीं है तथा विधवा से विवाह करने के अन्तर्गत दम्पति पुरस्कार पाने के लिए पात्र/अपात्र है। पुरस्कार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर/मोहर
क्षेत्रीय लेखपाल

हस्ताक्षर/मोहर
तहसीलदार